



Neutral Citation No.-2026:AHC:9519

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-38980 वर्ष 2024

राधेश्याम उर्फ राधे आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अजय कुमार श्रीवास्तव, अर्चना देवी, जितेंद्र कुमार रावत, मानवेंद्र सिंह, संजीव कुमार साहू

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, राम लखन देववंशी

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय कुमार श्रीवास्तव और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री राम लखन देववंशी के साथ-साथ श्री आर.पी. पटेल, राज्य विधि अधिकारी को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2024 के अपराध संख्या-114 में भ०द०वि०, थाना-किशनपुर, जिला: फतेहपुर की धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506, 302/34 के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगी है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक ने तीन अन्य नामित आरोपी व्यक्तियों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ दो व्यक्तियों पर हमला करने का आरोप लगाया है, जिससे दोनों घायल हो गए हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि घायलों में से एक लगभग एक महीने तक कोमा में रहा और बाद में चोटों के कारण उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे को उक्त घटना में चोटें आईं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी आरोप हैं। आवेदक 03.06.2024 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

6. ततस्थ विपरीत, सूचनाकर्ता और राज्य विधि अधिकारी के अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि आवेदक मुख्य अपराधी है। प्राथमिकी में नामित अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों की जमानत याचिकाओं को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, इस प्रकार, आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

7. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदक की ओर से घायल व्यक्ति भी हैं, और उसी घटना के संबंध में घटना का एक क्रॉसवर्जन दर्ज किया गया है। चूंकि इस मामले में एक क्रॉस-संस्करण होने के कारण, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों ने उक्त अपराध किया है और आवेदक मुख्य अपराधी में से एक है, मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता।

9. तदनुसार, जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले पर विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 एस.सी.सी. 702 के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।



जनवरी 14, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।